रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 1992/आषाढ़ 11, 1914
No. 129] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 1992/ASADHA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1992

संकल्प

संख्या पी-19011/5/92-आई.ओ.सी.—सरकार की नीति के अनुसार तेल उद्योग द्वारा पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों, मिट्टी के तेल/हल्के डीजल तेल की डीलरशिपें और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) की 25% डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दी जानी हैं। अ.जा./अ.ज.जा. की श्रेणी के अंतर्गत चुने हुए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए हालांकि डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शुरू करने के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था करना कठिन होता है। इसके परिणामस्वरूप, प्राय: इन आबंटितियों के लिए ऐसा समझौता करना आवश्यक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप वे लोग नाममात्र के मालिक रह जाते हैं।

1689 GI/92

2. सरकार ने तेल उद्योग के साथ परामर्श करके अ.जा./अ.ज.जा. के आबंटितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए निम्नलिखित स्कीम विकसित की है:

(i) पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

तेल कंम्पनियों के पास "ए" श्रेणी स्पेस के नाम से (कारपोरेशन के स्वामित्व की डीलर द्वारा चालित) एक श्रेणी पहले से है जिसके तहत तेल कंपनियों द्वारा उन क्षेत्रों में जमीन और बाहरी संरचनाओं पर निवेश किया जाता है जिन पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा डीलरों को जमीन की उप पट्टा की अनुमति नहीं होती है। अ.जा./अ.ज.जा. के आबंटितियों को समान सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है और अत: ऐसे आबंटितियों को निम्नलिखित सुविधाएं देने के लिए तेल कंपनियों को प्रावधान करना होगा:—

(I) 1. जमीन और इसका विकास।

2. विक्रय कक्ष